	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 13, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 02, 2022 *Magha 13, Wednesday , Saka 1943- February 02, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 01, 2022

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 9 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"9. राज्य में किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/सभा/रैली/धरना प्रदर्शन/जुलूस/मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी एवं उक्त आयोजनों के आयोजककर्ता को आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in→ e-intimation या 181 हेल्प लाईन नंबर पर देनी होगी तथा उक्त आयोजनों के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सामाजिक दूरी, 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के डबल-डोज वैक्सीनेशन, फेस मास्क पहनना, नो मॉस्क-नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग व स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन की पालना सुनिश्चित करेगा। "

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

भवानी शंकर,

वरिष्ठ शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.